संख्या-1075/चौवालिस-2/1993-123/92

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित
शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 1993

**विषय** :- आटो ट्रैक्टर्स लि0 के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को निगमों/उपक्रमों में सेवायोजन हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता।

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लि0 को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन ने उक्त कम्पनी के कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन उपक्रमों/निगमों में सेवायोजन हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है :-

(1) उपक्रमों/निगमों की सेवा हेतु केवल वे ही कर्मचारी/अधिकारी पात्र होंगे जो दिनांक 1-10-1986 या उससे पूर्व उक्त कम्पनी की सेवा में नियुक्त हुए हों तथा कम्पनी के निजी क्षेत्र में जाने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहे हों।

(2) जहां सरकारी क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों में नियुक्तियां की जानी हों वहां तकनीकी अर्हता रखने वाले आटो ट्रैक्टर्स लि0 के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अर्हता के अनुरूप उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी पदों पर नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाये।

(3) आटो ट्रैक्टर्स लि0 के प्रश्नगत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए उपक्रमों/निगमों की सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(4) आटो ट्रैक्टर्स लि0 की सेवा में कार्मिकों द्वारा आहरित अन्तिम वेतन को संरक्षण-प्रदान किया जायेगा जिसके विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) उक्त सेवायोजन सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा तथा सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

(6) यह नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नियुक्तियां शासनादेश संख्या-1184/चौवालिस-2-14/च0स0/87, दिनांक 30-11-1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही की जायेगी।

भवदीय,
**प्रदीप कुमार,**
सचिव।

संख्या-1075(1)/चौवालिस-2/1993-123/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

(2) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।

(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन।

(5) उद्योग अनुभाग-4

आज्ञा से,
**देवी प्रसाद साहू,**
अनु सचिव।